-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 16.03.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा व्यक्ति की साफी से गला दबाकर हत्या करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त द्वारा दिनांक 13/14.03.2025 की रात्रि में व्यक्ति को मार पीटकर साफी से गला दबाकर की थी हत्या।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 16.03.2025 को थाना बिसंडा पुलिस द्वारा व्यक्ति की साफी से गला दबाकर हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 13/14.03.2025 की रात्रि को थाना बिसंडा क्षेत्र के ग्राम सिकलोढ़ी में गांव के ही अभिलाष उर्फ चुनवाद का शव मिला था। इस सम्बन्ध में मृतक के भाई संतोष सिंह द्वारा गांव के ही देवचरन उर्फ सूरजा पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना बिसण्डा पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 16.03.2025 को थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा अभियुक्त को ग्राम सिकलोढ़ी से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया गया कि उसके पिता ने मृतक अभिलाष के पिता से 02 वर्ष पहले 05 बीघा खेत बटाई पर लिया था जिससे उनका गुजारा चलता था। एक वर्ष बाद मृतक के परिवार वालो ने अभियुक्त के ऊपर फसल घपला करने का आरोप लगाकर खेत वापस लेकर दूसरे को दे दिया था इसी बात को लेकर अभियुक्त देवचरन उर्फ सूरजा व अभिलाष के बीच वाद-विवाद भी हुआ था क्योकि अभिलाष ने ही अपने पिता से कहकर जमीन वापस ले ली थी। इसी बात लेकर अभियुक्त पूर्व से रंजिश मानता था। दिनांक 13.03.2025 को होलिका दहन वाले दिन अभियुक्त अभिलाष को होलिका दहन देखने के लिए साथ ले गया था और साथ ही गांव के ही अन्य व्यक्तियो के साथ पंचायत भवन में जाकर शराब भी पिया। उसी दौरान उनके बीच खेत की पुरानी बटाई की बात लेकर विवाद हो गया जिसे लोगों द्वारा शान्त करा दिया गया और सभी वहां से चले गये। तत्पश्चात वापस घर जाते समय मृतक अभियुक्त की बहन के बारे में अपशब्द कहने लगा जिससे उसने उसे एक थप्पड़ मारा और वह खम्भे से टकरा गिर गया तब अभियुक्त द्वारा उसके ऊपर चढ़कर मुंह दबाकर मार-पीट कर साफी से गला दबाकर हत्या कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. देवचरन यादव उर्फ सूरजा पुत्र दुर्विजय सिंह निवासी सिकलोढ़ी थाना बिसंडा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 75/25 धारा 103(1) बीएनएस थाना बिसंडा जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 बिसंडा श्री सुरेश कुमार सैनी
2. निरी0 अपराध थाना बिसंडा श्री उमेश कुमार
3. कां0 आदर्श उपाध्याय
4. कां0 अभिलाष प्रताप